प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 03.03.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 125/24 धारा 302/120बी भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सहित अन्य 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 बलकटी, घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 हिरो स्प्लेन्ड़र, मृतक का मोबाइल फोन बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 02.03.24 को थाना बडौत पर सूचना प्राप्त हुई कि बड़का रेलवे अन्डरपास के पास बन्द पड़ी फैक्ट्री में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है इस सूचना पर तत्काल थाना बडौत पुलिस एवं उच्चाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा डॉग स्क्वायड टीम व फोरेसिंक टीम द्वारा भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक रीति से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव की शिनाख्त इमरान उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र नसीर अहमद निवासी काशीराम कालौनी मलकपुर रोड़ कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत के रूप में हुई। मृतक के भाई इरफान द्वारा बताया गया कि मृतक की पत्नी के अभियुक्त हासिम पुत्र असरफ निवासी मौहल्ला पठानकोट कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत के साथ अवैध सम्बन्ध थे। अभियुक्ता (मृतक की पत्नी) के कहने पर अभियुक्त हासिम ने मृतक इमरान की दिनांक 02.03.24 को हत्या कर शव को बड़का रेलवे अण्डरपास के पास बन्द पड़ी फैक्ट्री में फैंक दिया है। जिसके सम्बन्ध में मृतक के भाई इरफान से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 125/24 धारा 302/120बी भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 125/24 धारा 302/120बी भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सहित अन्य 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बलकटी, 01 मो0सा0 हिरो स्प्लेन्ड़र, मृतक का मोबाईल फोन, अभियुक्त का 02 मोबाईल फोन व अभियुक्ता का मोबाईल फोन किये बरामद। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-हाशिम पुत्र अशरफ निवासी मौ0 पठानकोट कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2-एक महिला।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त हाशिम ने पूछताछ पर बताया कि मै मृतक इमरान की पत्नी से प्यार करता था हम दोनों निकाह करना चाहते थे, इमरान इसका विरोध करता था और अपनी पत्नी को तलाक नही दे रहा था, इसी के चलते हम दोनों ने इमरान को मारने की योजना बनाई और योजना के अनुसार दिनाँक 02.03.24 को मैने इमरान को काम के बहाने इदारा मस्जिद पर बुलाया था और वहाँ से अपनी मोटरसाईकिल हीरो होन्डा स्प्लेन्डर नं0 UP12W6962 पर बैठाकर काम के बहाने बडका रेलवे अण्डर पास के पास बन्द पडी फैक्ट्री में लेकर गया था। वहां बैठकर हम लोग बीडी पीने लगे थे, जब इमरान बीडी पी रहा था तो मैने अपनी मोटर साईकिल के बैग में रखी बलकटी निकाल कर इमरान की बलकटी से हत्या कर दी और वहां से भाग गया।

बरामदगी--

- एक आलाकत्ल बलकटी।
- घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 हिरो स्प्लेन्ड़र नं0 UP12W6962
- अभियुक्त का एक मोबाइल।
- 02 मोबाइल फोन (अभियुक्तों के)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्र0नि0 श्री संजय कुमार शर्मा थाना बडौत।

2- व0उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना बड़ौत।

3-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बड़ौत।

4-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बड़ौत।

5-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह गौतम थाना बडौत।
6-है0का0 316 नागेन्द्र थाना बड़ौत।
7-है0का0 468 कुलदीप देशवाल थाना बड़ौत।
8-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बड़ौत।
9-का0 402 विशाल पूनिया थाना बडौत।
10- का0 403 नितिन त्यागी थाना बड़ौत।
11-म0का0 864 शैली मोरल थाना बडौत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा **दिनाँक 03.03.2024**

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 53/2024 धारा 341/504/506/307 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 02.03.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी निखिल पुत्र प्रवीण कुमार निवासी ग्राम गोठरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र निजामुद्दीन, 2.अबुकलाम पुत्र निजामुद्दीन व 3.अयाज पुत्र निजामुद्दीन निवासीगण रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा वादी की

मोटरसाईकिल रोककर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की व जान से मारने की नियत से अभियुक्त अमन द्वारा चाकू से हमला किया गया जिससे वादी गम्भीर रूप से घायल हो गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 53/2024 धारा 341/504/506/307 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 53/2024 धारा 341/504/506/307 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

अमन पुत्र निजामुद्दीन निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 मुकेश कुमार थाना खेकडा।

2-है0का0 53 रविन्द्र कुमार।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक 03.03.2024**

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 07 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 07 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त 01 कार बलैनौ बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 126/24 धारा 63/72 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजू उपाध्याय पुत्र ओमपाल सिंह निवासी आजाद नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 07 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का।
- तस्करी में प्रयुक्त 01 कार बलैनो नं0 यूपी-17-एक्स-7543 बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री विकास कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत।
3-का0194 तरुण कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।